न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–1, फिरोजाबाद।

उपस्थितः आर०पी० सिंह, ''एच०जे०एस०''

फौजदारी अपील सं०–24/2011

1– रमेश चन्द्र पुत्र साहूकार,

2– गिरीश चन्द्र पुत्र साहूकार,

3– नरेश चन्द्र पुत्र शिव दयाल,

4– साहूकार पुत्र श्री शैतान सिंह,**(मृतक, अपील उपसमित)**

निवासीगण ग्राम नगला अल्लिया, थाना फरिहा, जिला फिरोजाबाद। .....अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार । ..... प्रत्युत्तरदाता

धारा–198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम

थाना–फरिहा, जिला फिरोजाबाद।

निर्णय

प्रस्तुत फौजदारी अपील अपीलार्थीगण की ओर से न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट जसराना, जिला फिरोजाबाद द्वारा वाद सं०–03/2010 सरकार बनाम रमेश चन्द्र आदि, धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम, थाना जसराना, जिला फिरोजाबाद में पारित निर्णय दिनांकित 14–02–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निर्णय दिनांकित 14–02–2011 द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने अपीलार्थीगण को धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के अपराध की बाबत दोषी पाते हुए एक–एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा तथा एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 15–15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा काटने का आदेश पारित किया है।

दौरान अपील साहूकार अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरूद्ध अपील उपसमित की जा चुकी है।

प्रस्तुत अपील के निस्तारण हेतु संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी मुकदमा सियाराम पुत्र श्री वंशीधर, निवासी रखावली, थाना फरिहा, जिला फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्तगण के

विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र थाना फरिहा पर अपने पटटे की भूमि गाटा सं०–96 पर जबरदस्ती कब्जा किये जाने की बाबत प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को दिया, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद के आदेशानुसार थाने पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं०–147/2009 धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज की गयी और मामले की विवेचना की गयी। दौरान विवेचना विवेचक ने गवाहों के बयान अंकित किये और अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अवर न्यायालय में अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 09–12–2010 को धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम का आरोप विरचित किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डब्लू–1 वादी सियाराम के बयान अंकित कराये गये और अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने पटटे की भूमि पर कब्जा करने से अन्कार किया और उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा चलना बताया।

उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय ने अभियुक्तगण को धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के आरोप का दोषी पाते हुए दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया तथा अभियुक्तगण को धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत एक–एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा व एक–एक हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया।

प्रश्नगत अपील में अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के निर्णय को यह कहते हुए चुनौती दी गयी है कि विद्वान अवर न्यायालय ने विधि एवं तथ्यों के विपरीत जाकर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। वादी सियाराम को कथित भूमि का कोई पटटा नहीं मिला, बल्कि पटटा वंशीधर को मिला था तथा अभियुक्तगण ने पटटे की भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं किया। अभियुक्तगण सह–खातेदार हैं तथा केवल वादी के बयानों के आधार पर अभियुक्तगण को विधि विरूद्ध तरीके से दोषसिद्ध किया गया है। अभियोजन पक्ष ने

मामले के विवेचक को भी न्यायालय में पेश नहीं किया और न ही अभियोजन प्रपत्रों को साबित किराया गया है।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अवर न्यायालय की तलवीदा पत्रावली व प्रश्नगत निर्णय का भी अवलोकन किया।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण प्रश्नगत भूमि के सह–खातेदार हैं और खतौनी की नकल उन्होने दाखिल की है, जिसमें वह सह–खातेदार के रूप में दर्ज हैं। ऐसी कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है कि किस हिस्से पर वादी का कब्जा था और कब उसे बेदखल किया गया। कब्जा दिलाये जाने की बाबत कोई दस्तावेज दखलनामा आदि अभियोजन पक्ष ने साबित नहीं कराया है और न ही लेखपाल का बयान कराया गया है कि कब वादी को पटटे की भूमि पर कब्जा दिलाया गया। यह बात सही है कि अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अवर न्यायालय में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि वादी को पटटे की भूमि पर कब्जा दिया गया। अभियोजन पक्ष ने न तो वादी के पक्ष में पटटा साबित कराया है और न ही उसपर कब्जा दिया जाना साबित किया है तथा ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्तगण ने कब और किस तिथि को पटटे की भूमि पर कब्जा किया। पी०डब्लू–1 सियाराम ने अपने बयानों में जिरह के दौरान यह स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण ने 4–5 माह पहले कब्जा छोड़ दिया है और उनका कोई कब्जा इस समय पटटे की भूमि पर नहीं है तथा पटटा मेरे पिता के नाम हुआ था तथा अब कोई झगड़ा शेष नहीं है। वर्तमान में मेरा ही कब्जा पटटे की भूमि पर है।

अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा विद्वान अवर न्यायालय में अभियोजन प्रपत्रों चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट, जी०डी० कायमी मुकदमा, नक्शा नजरी व आरोपपत्र आदि कोई भी दस्तावेज साबित नहीं कराये गये और न ही मामले के विवेचक को न्यायालय में पेश

किया गया। यह बात सही है कि मामले के विवेचक को साक्ष्य में न्यायालय में पेश नहीं किया गया और न ही अभियोजन प्रपत्रों को साबित कराया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष विद्वान अवर न्यायालय में यह साबित नहीं कर पाया है कि पटटे की भूमि पर पटटेदार को कब्जा किस तिथि को दिया गया। दखलनामा साबित नहीं कराया गया है और न ही लेखपाल को साक्ष्य में पेश किया गया है और ऐसी भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी कि वादी/पटटेदार को कब्जा के बाद बेकब्जा किया गया हो। धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम में यह प्रावधान है किः–

''यदि किसी पटटेदार को जिसे भूमि गाँव सभा द्वारा आवंटित की गयी है, उसपर किसी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा किया गया हो और उसे अनाधिकृत कब्जे से बेदखल कर पटटेदार को कब्जा पुनः दिलाया गया है और उसने फिर उक्त पटटे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। ऐसी दशा में वह धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित अपराध का दोषी होगा और उसे दो साल तक की सजा से तथा 3,000/– रूपये तक के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा। लेकिन प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी की पटटे की भूमि पर कब्जा किया गया हो और उससे पटटेदार वादी को कब्जा दिलाया गया हो। तत्पश्चात उसपर पुनः अभियुक्तगण ने कब्जा किया हो।

अतः ऐसी दशा में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम सिद्ध नहीं हैं और विद्वान अवर न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत बिना किसी ठोस साक्ष्य के पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है तथा अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप धारा 198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम से दोषमुक्त होने योग्य हैं। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 14–02–2011 अपास्त किया जाता है। अभियुक्तगण रमेश चन्द्र, गिरीश चन्द्र व नरेश चन्द्र को धारा198A(2) जमींदारी विनाश अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त साहूकार के विरूद्ध अपील पहले ही उपसमित हो चुकी है। इस निर्णय की प्रति सहित विद्वान अवर न्यायालय की तलवीदा पत्रावली तत्काल अवर न्यायालय को वापस भेजी जाये।

दिनाँकः 10-01-2017

(आर०पी० सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-1, फिरोजाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

दिनाँकः 10-01-2017

(आर०पी० सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय सं०-1, फिरोजाबाद।